

11172  
17/9/18

# कार्यालय नगर परिषद, बक्सर

Ph. No. 06183-223109

Email: citymanagernpbuxar@gmail.com


प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, बक्सर।

सेवा में.

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,  
महालेखाकार कार्यालय  
बिहार, पटना।

पत्रांक:.....  
दिनांक:.....



A-D  
17/9/18

विषय:

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०- 175/2006-07 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-175/2006-07 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ साक्ष्य सहीत संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

६० -

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, बक्सर।

श्री-रामानंद


पत्रांक-3023 दिनांक-17/9/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(17/9/18)


कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, बक्सर।

499  
19/9/18



# कार्यालय नगर परिषद, बक्सर

नगर परिषद, बक्सर का वर्ष 2000-01 से 2005-06 का अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 175/2006-07 का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन।

<b>अनुपालन प्रतिवेदन:-</b>			
कंडीका	शीर्ष	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
2	3	4	5
कंडिका-4	समाधान विवरणी	<p>(क) अन्तर शेष का समाधान कर दिया गया है। एवं अव्यवहृत राशि विभागीय निदेश के आलोक में संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है। अगले अंकेक्षण दल के सामक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।</p> <p>(ख) अंकेक्षण के सुझाव के आलोक में अनुपालन किया जा रहा है।</p> <p>अनुपालन किया जा रहा है।</p> <p>अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।</p>	
कंडिका-5	आंतरिक अंकेक्षण	<p>अनुपालन किया जा चुका है।</p> <p>अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।</p>	
कंडिका -6	बजट	<p>अनुपालन किया जा चुका है।</p> <p>अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।</p>	
कंडिका-7	अनुदान	<p>राशि व्यय की गई है। मानव बल की कमी के कारण अनुदान पंजी का संधारण नहीं हो पा रहा है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।</p> <p>अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।</p>	
कंडिका-8	सरकारी ऋण	<p>कंडिका सूचनात्मक है। राशि का व्यय कर्मचारियों के वेतन एवं महँगाई भत्ता मद में किया जा चुका है।</p> <p>अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।</p>	
कंडिका-9	राष्ट्रीय गंदी बस्ती कार्यक्रम	<p>राशि का व्यय स्थानीय लिकाय के आवश्यकतानुसार की गई है। उक्त योजना बंद हो गई है एवं विभागीय निदेश के आलोक में इस मद की अवशेष राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है।</p> <p>अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।</p>	<p>15/11/18</p> 

कांड़िका -10	11 वित्त आयोग	कांड़िका सूचनात्मक है कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः कांड़िका निरस्त किया जाय।	
कांड़िका-11	नहीं जमा	क्रम सं0-01 पर अंकित श्री आर0एस0 चौबे की बकाया राशि रु0-3785 की वसूली विविध रसीद सं0-4212 दिनांक- 14.09.2018, क्रम सं0-06 पर अंकित श्री विश्वनाथ पाठक की बकाया राशि रु0-938 की वसूली विविध रसीद सं0-4214 दिनांक-14.09.2018, क्रम सं0-07 पर अंकित श्री चंद्रदेव पासवान की बकाया राशि रु0-1471 की वसूली विविध रसीद सं0-4215 दिनांक-14.09.2018, क्रम सं0- 09 पर अंकित श्री संतोष कुमार केशरी की बकाया राशि रु0-102 की वसूली विविध रसीद सं0-4213 दिनांक- 14.09.2018 से वसूली की गई है एवं क्रम सं0-13 पर अंकित श्री नरसिंह चौबे की बकाया राशि रु0-94239 जो लेखापाल रोकड़ बही में दिनांक-14.10.2008, 18.11.2008, 22.11.2008 को क्रमशः 20000+55647+50864 जमा है। उक्त राशि इसमें सम्मिलित है तथा क्रम सं0-08,11 एवं 12 पर अंकित कर्मी की मृत्यु हो चुकी है। इनका सेवान्त लाभ यथा उपदान की राशि भुगतान करते समय कटौती कर ली जायेगी एवं अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।	साक्ष्य संलग्न
कांड़िका-12	शमशान घाट से वसूल की गई शुल्क की राशि जमा नहीं।	विविध रसीद सं0-4209 दिनांक- 13.09.2018 से श्री सरयु राम रु0-1008, रसीद सं0-4210 दिनांक- 13.09.2018 से श्री मंजुर अहमद रु0-1440 एवं रसीद सं0-4211 दिनांक- 13.09.2018 से श्री करमचंद चौधरी रु0-9343 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा कर दिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।	साक्ष्य संलग्न 15/11/18

कंड़िका-13(क)	विभागीय वसूली होने के कारण राजस्व की हानि।	<p>(i) बन्दोवस्ती नहीं होने के कारण विभागीय वसूली किया गया। बन्दोवस्ती का समय दिनांक-24.04.2004, दिनांक- 27.04.04 एवं दिनांक-30.04.04 को बन्दोवस्ती में भाग लेने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।</p> <p>(ii) विभागीय वसूली दिनांक-04.05.2004 से 15.07.2004 तक कुल 02 माह 11 दिन हुआ जो वार्षिक तुलना में लगभग समतुल्य है।</p> <p>(iii) नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत सूचना प्रचार-प्रसार माईकिंग के द्वारा किया गया।</p>	साक्ष्य संलग्न
कंड़िका-13(ख)	बकरा वधशाला	जिम्मेवार व्यक्ति मनराज सिंह है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इनके सेवान्त लाभ विपत्र से कटौती कर नगर परिषद कोष में जमा कर दिया जायेगा एवं अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।	साक्ष्य संलग्न
कंड़िका-13(ग)	जय प्रकाश बस पड़ाव बन्दोवस्ती कम दर में होने से हानि।	<p>वर्ष 2003-04 की बन्दोवस्ती हेतु प्रचार-प्रसार माईकिंग के द्वारा कराया गया है तथा दिनांक-15.02.2003, 22.02.2003 एवं 28.02.2003 को बन्दोवस्ती की प्रक्रिया अपनायी गई जिसमें अधिकतम बोली रु0-301000 की लगी। जिसे नगर परिषद बोर्ड के संकल्प सं0-10 दिनांक- 13.03.2003 के प्रस्ताव सं0-07 के लिये गये निर्णय के आलोक में अधिकतम डाक की राशि रु0-301000 को स्वीकृत कर बन्दोवस्ती किया गया एवं जिला पदाधिकारी के मौखिक आदेश के आलोक में वर्ष 2004-05 के लिये बन्दोवस्ती न कर के वर्ष 2003-04 के उच्चतम डाक बोली के स्वीकृत राशि के समानुपातिक ढंग से अवधि विस्तार करते हुए कुल 08 माह (01.04.2004 से 30.11.2004) तक की राशि जमा करायी गई है।</p>	<p>साक्ष्य संलग्न</p> <p style="text-align: right;">15/11/14 B.S.A.N.</p>

कंडिका-14(क)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की कम वसूली।	अंकेक्षण द्वारा सुझाये गये 50% के दर से राशि की वसूली की जा रही है। अद्यतन 2013 से नये नियमावली के अनुसार बर्गफीट के आधार पर होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है। वर्ष 2013 के पूर्व के बकायदारों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर 50% की दर से वसूल किया जा रहा है। अतः कंडिका निरस्त किया जाय।	साक्ष्य संलग्न
कंडिका-14(ख)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं।	नगर परिषद का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रहने के कारण राशि जमा नहीं किया गया है। भविष्य में सुदृढ़ होने पर संबंधित शीर्ष में जमा किया जायेगा।	
कंडिका-15	मांग व वसूली पंजी।	सुझाव के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। प्रचार-प्रसार एवं नोटीश निर्गत कर बकाया मांग वसूली हेतु कार्रवाई किया गया है। वर्तमान वसूली में वृद्धि हुई है। अतः कंडिका निरस्त किया जाय।	
कंडिका-17	खतरनाक एवं भयावह व्यापार।	इस आशय की जानकारी कार्यालय को नहीं था। संबंधित व्यक्ति को नोटीश निर्गत किया गया है। कार्रवाई की जा रही है।	साक्ष्य संलग्न
कंडिका-18	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क।	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की राशि दिसम्बर 2017 तक प्राप्त है। अतः कंडिका निरस्त किया जाय।	
कंडिका-19	सरकारी भवनो. पर बकाया कर	सरकारी भवन से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण अंकेक्षण के सुझाव में किया जा रहा है एवं वसूली हेतु संबंधित को नोटीश भी निर्गत किया गया है।	साक्ष्य संलग्न
कंडिका-20	दुकान किराया।	सुझाव के आलोक में अनुपालन किया गया है। अतः कंडिका निरस्त किया जाय।	
कंडिका-21	विचलन	विचलन की राशि को नगर परिषद कोष से चेक सं-0-736878 दिनांक- 17.08.2006 के द्वारा संबंधित खाता में वापस जमा कर दिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।	साक्ष्य संलग्न 17/08/17

कंड़िका-22 (क)	अधिक भुगतान	योजना कार्य का भुगतान तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति राशि के अन्तर्गत वास्तविक कार्य पर ही हुआ है। अंकेक्षण सुझाव को भविष्य में मार्गदर्शन हेतु अंकित कर लिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।	
कंड़िका-22 (ख)	अधिक भुगतान	योजना कार्य का भुगतान तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति राशि के अन्तर्गत वास्तविक कार्य पर ही हुआ है। अंकेक्षण सुझाव को भविष्य में मार्गदर्शन हेतु अंकित कर लिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।	
कंड़िका-22 (ग)	अधिक भुगतान	योजना कार्य का भुगतान तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति राशि के अन्तर्गत वास्तविक कार्य पर ही हुआ है। अंकेक्षण सुझाव को भविष्य में मार्गदर्शन हेतु अंकित कर लिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।	
कंड़िका-23	अधिक भुगतान	योजना कार्य का भुगतान तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति राशि के अन्तर्गत वास्तविक कार्य पर ही हुआ है। अंकेक्षण सुझाव को भविष्य में मार्गदर्शन हेतु अंकित कर लिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।	
कंड़िका-24	अधिक भुगतान	योजना कार्य का भुगतान तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति राशि के अन्तर्गत वास्तविक कार्य पर ही हुआ है। अंकेक्षण सुझाव को भविष्य में मार्गदर्शन हेतु अंकित कर लिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।	
कंड़िका-25	अधिक भुगतान	योजना कार्य का भुगतान तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के प्रशासनिक स्वीकृति राशि के अन्तर्गत वास्तविक कार्य पर ही हुआ है। अंकेक्षण सुझाव को भविष्य में मार्गदर्शन हेतु अंकित कर लिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त किया जाय।	17/11/15 KAS

कॉडिका-26	अधिक निकासी	कार्रवाई की जा रही है। संबंधित व्यक्ति से वसूली कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।	
कॉडिका-27	असामायोजित अग्रिम	अंकेक्षण के सुझाव के आलोक में प्रयास किया गया। राशि की वापसी संभव नहीं है। अतः मार्ग दर्शन की आवश्यकता है।	
कॉडिका-28	बिजली बिल बकाया	अंकेक्षण के सुझाव के आलोक में यथा संभव प्रयास किया गया है। बिजली बकाया मद में कुल 23239216.00 का भुगतान हुआ है जिसमें बकाया होलिंग टैक्स रु0-2000790.00 सम्मिलित है। फिलहाल बकाया विद्युत विपन्न भुगतान की कार्रवाई विभागीय स्तर से हो रही है।	साक्ष्य संलग्न
कॉडिका-29	दैनिक वेतन भुगतान	दैनिक मजदुरी पर ट्रेक्टर चालक के रूप में कर्मी कार्य कर रहे थे जो सफाई कार्य से जुड़े थे। सफाई कार्य के महत्ता को ध्यान में रखकर विशेष परिस्थिति में इनसे कार्य लिया गया।	
कॉडिका-30	अग्रिम	अतः कॉडिका निरस्त किया जाय। अंकेक्षण के सुझाव के आलोक में अग्रिम पंजी का संधारण किया गया है। समायोजन हेतु संबंधित को नोटीश किया गया था जिसके आलोक में कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायार किया गया था। समायोजन करने हेतु आदेश प्राप्त हो चुका है। कार्रवाई की जा रही है।	साक्ष्य संलग्न

15/11/14

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, बक्सर।